न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 82/2022 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/143

उनवान

1. श्री कन्हैयालाल पिता मणीशकर बाहमण उम्र बालिग।
2. श्री बसन्तीलाल पिता मणीशकर बाहमण उम्र बालिग।
3. श्री भवानीशकर पिता मणीशकर बाहमण उम्र बालिग

सभी निवासी कृष्णनगर, सलुम्बर तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमति चन्दा पुत्री बालमुकुन्द बाहमण उम्र बालिग।
2. श्री दीपक पिता बालमुकुन्द बाहमण उम्र बालिग।
3. श्रीमति कान्ता पुत्री मणीशकर बाहमण उम्र बालिग।

निवासीयान निवासी कृष्णनगर सलुम्बर तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

4. श्रीमान उप पजीयक महोदयजी उप पंजीयक कार्यालय सलुम्बर

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

क्रोस वाद/प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय::

दिनांक 20/04/26

उपस्थितः श्री दिनेश कुमार जैन अधिवक्ता—क्रोसवादकर्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2
वादीगण—एक पक्षीय
प्रतिवादी संख्या 3—एक पक्षीय

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर वाद में यह निवेदन किया गया कि वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक संपत्ति है तथा राजस्व अभिलेखों में विभाजन होने के बावजूद मौके पर वास्तविक बंटवारा नहीं हुआ है।

वादीगण ने यह भी कहा कि प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे भविष्य में विवाद की संभावना है। इसलिए प्रतिवादीगण को भूमि के हस्तांतरण से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाए।

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार जैन ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा वाद का प्रतिवाद प्रस्तुत करते हुए प्रतिदावा किया गया कि आराजी संख्या 33 (0.02 हेक्टेयर), आराजी संख्या 1582/36 (0.015 हेक्टेयर) पर उनका मकान निर्मित है तथा वे उक्त भूमि पर लम्बे समय से कब्जे में हैं।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

उनवान–श्री कन्हैयालाल बनाम श्रीमती चन्दा व अन्य

प्रतिवादीगण का कथन है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि का नामांकन त्रुटिवश अन्य खातेदारों के नाम दर्ज हो गया है।

प्रकरण में वादीगण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए किन्तु वे नियत तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए, फलस्वरूप न्यायालय द्वारा वादीगण के विरुद्ध आदेशिका दिनांक 12–05–2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं वादीगण का वाद अदम हाजरि एवं अदम पैरवी मे खारिज किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा अपने प्रतिदावा के समर्थन में गवाह डी.डब्ल्यु. 1 दीपक पिता बालमुकुन्द का शपथपत्र एवं दस्तावेज प्रदर्श ए1 से प्रदर्श ए13 तक पेश किये।

पत्रावली मे क्रोसवादकर्ता प्रतिवादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

बहस मनन की गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आराजी संख्या 33 एवं 1582/36 पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 का वास्तविक कब्जा है। उक्त भूमि पर उनका मकान निर्मित होना प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है। किन्तु राजस्व अभिलेखों में नाम संशोधन के संबंध में निर्णय राजस्व रिकॉर्ड सुधार की पृथक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना उचित होगा। अतः इस न्यायालय द्वारा केवल कब्जे की स्थिति को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर क्रोसवादकर्ता प्रतिवादी का दावा आंशीक रूप से स्वीकार किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि आराजी संख्या 33 एवं 1582/36 पर प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती चन्दा एवं प्रतिवादी संख्या 2 श्री दीपक का कब्जा है। वादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के कब्जे में स्थित उक्त भूमि एवं मकान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

राजस्व अभिलेखों में नाम संशोधन के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को विधि अनुसार पृथक राजस्व प्रक्रिया अपनाने की स्वतंत्रता रहेगी।

निर्णय दिनांक 20/04/26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 82/2022 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/143

उनवान

1. श्री कन्हैयालाल पिता मणीशकर बाहमण उम्र बालिग।
2. श्री बसन्तीलाल पिता मणीशकर बाहमण उम्र बालिग।
3. श्री भवानीशकर पिता मणीशकर बाहमण उम्र बालिग

सभी निवासी कृष्णनगर, सलुम्बर तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमति चन्दा पुत्री बालमुकुन्द बाहमण उम्र बालिग।
2. श्री दीपक पिता बालमुकुन्द बाहमण उम्र बालिग।
3. श्रीमति कान्ता पुत्री मणीशकर बाहमण उम्र बालिग।
   निवासीयान निवासी कृष्णनगर सलुम्बर तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
4. श्रीमान उप पजीयक महोदयजी उप पंजीयक कार्यालय सलुम्बर

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

क्रोस वाद/प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री दिनांकः— 20/04/26

क्रोस वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा क्रोसवादकर्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से एडवोकेट श्री दिनेश कुमार जैन एवं मूलवाद वादीगण एवं क्रोसवाद प्रतिवादीगण की एकपक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 20/04/26 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि क्रोसवादकर्ता प्रतिवादी का दावा आंशीक रूप से स्वीकार किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि आराजी संख्या 33 एवं 1582/36 पर प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती चन्दा एवं प्रतिवादी संख्या 2 श्री दीपक का कब्जा है। वादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के कब्जे में स्थित उक्त भूमि एवं मकान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

राजस्व अभिलेखों में नाम संशोधन के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को विधि अनुसार पृथक राजस्व प्रक्रिया अपनाने की स्वतंत्रता रहेगी।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना—अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 20/04/26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	05	–	योग	01	–

उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर